सुभान खॉ पुत्र बद्री खॉ जाति मुसलमान तेली, निवासी– ग्राम भींयासर, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. जहूरदीन पुत्र श्री बद्री खॉ
02. यासीन खॉ पुत्र ब्रदी खॉ
03. शेरमोहम्मद पुत्र जानू खॉ
04. अली मोहम्मद पुत्र जानू खॉ
    सभी जातियान् मुसलमान–तेली, निवासीगण– ग्राम भींयासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
05. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
फलोदी दिनांक 18 अगस्त 2020 राजस्व वाद संख्या 307/2018
सुभान खॉ बनाम जहूरदीन इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जितेन्द्रसिंह, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री वसीम अकरम, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन व चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 307/2018 सुभान खॉ बनाम जहूरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 14 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1368 रकबा 11.13 बीघा, खसरा नंबर 1368/1 रकबा 11.13 बीघा ग्राम भींयासर तहसील फलोदी के संबंध में एक वाद

अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम मय धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेष किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत मामलें में पूर्व में इसी आषय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो जरिये नोट–प्रेस खारिज किया गया था, जिस कारण कानूनन दुबारा उसी आषय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही ंकिया जा सकता है जो एस्टोपल के सिद्धांत से बाधित होने के कारण प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेष किया कि विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय में ही निरस्त करवाया जा सकता है, इसलिए वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी के वाद को विधि–विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि हस्तगत मामले में उभय पक्ष की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी। इस कारण विचारण न्यायालय को मामले को मेरिट पर निर्णित करना चाहिए था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा न कर जल्दबाजी दिखाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र के विपरीत जाकर वादी के वाद को वाद कारण पैदा नहीं होने व दावा दुरभी संधि का होने से विधि बाधित होना मानकर खारिज किया गया है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई कथन नही किये है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण की प्लीडिंग से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2020 को निरस्त

किया जावे एवं मामला विधिनुसार गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेष पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर कथन किये गये है कि खसरा नंबर 1368 रकबा 23.06 बीघा भूमि अनु उर्फ अनवर, करीमा व फतिमा उर्फ फते खॉ पिसरान् बद्री से नेक खॉ पुत्र जानुखॉ ने जरिये रजि. विक्रय विलेख के खरीद की गई है। उक्त विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय से खारिज करवाये बिना वादी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता कां नहीं होने से प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में वाद को विधि बाधित होने से खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं प्रतिवादीगण की प्लीडिंग से परे जाकर वादी का वाद वाद–कारण के अभाव में एवं दुरभि–संधि का होने के आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। अपीलांट पक्ष के कथनो एवं विचारण न्यायालय की आदेषिका दिनांक 29 अगस्त 2019 के मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी जरिये नोट–प्रेस खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में समान प्रकरण में कानून दूसरी बार समान अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन चल रही थी तथा प्रतिवादीगण को मय कॉस्ट साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये

जाने प्रतीत होते है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में पूर्व से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी खारिज हो जाने के बावजूद उसी आषय का प्रार्थना पत्र पुनः पेष होने पर उसे स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वाद विचारण की प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योगय नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 307/2018 सुभान खॉ बनाम जहूरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2020 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर